FIVE RUPEES

दो रुपये TWO RUPEES

5=13.00

31/14-11-13

केवल नकल कं

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which Application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of pasting notice on notice board	Date of delivery of the copy	अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
14.11.2013	14.11.2013	14.11.2013	14-11-13

नकल आदेश दिनांक 11.07.2013 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सदरफैजाबाद। वाद संख्या 72 अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए. ऐक्ट मौजा- राजेपुर उपरहार परगना हवेली अवध तहसील सदर, फैजाबाद । भगवान बक्स सिंह प्रबन्धक ,रामफेर सिंह टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टी0 बनाम सरकार फैसला दिनांक 11.07.2013

नोट- नकल आदेश की छायाप्रति फोलियो के साथ संलग्न है ।

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

भगवान बक्स सिंह प्रबन्धक, रामफेर सिंह टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टी0————बनाम————————सरकार।

वाद संख्याः 72
अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अ0
मौजा–राजेपुर उपरहार, परगना–हवेली अवध,
तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद।

संशोधित आदेश

वादी श्री भगवान बक्स सिंह मैनेजर, रामफेर सिंह टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट राजेपुर जनपद फैजाबाद द्वारा दिनॉक 11.07.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि खतौनी सन् 1416 से 1421 फसली के खाता संख्या 403 पर दर्ज गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.2415 हेक्टेयर है परन्तु दिनॉक 16.03.2013 को पारित किये गये आदेश में गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.241 हेक्टेयर टाइप हो गया है, जो लिपिकीय त्रुटि है, जिसे संशोधित करके गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.2415 हेक्टेयर करने का अनुरोध किया गया।

वादी के उक्त प्रार्थना पत्र के कम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा गाटा संख्या 24 व 27 भूमि को अकृषिक घोषित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर द्वारा अपनी जांच आख्या के विवरण कालम गाटा संख्या 24 मि0 रकबा 0.013 हेक्टेयर व खाता संख्या 403 पर दर्ज गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.241 हेक्टेयर व जांच आख्या में 24 मि0 रकबा 0.013 हेक्टेयर व गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.2415 हेक्टेयर भूमि अकृषिक घोषित करने हेतु दी गयी है। दो जगह अलग–अलग गाटा संख्या 27 मि0 के रकबे का उल्लेख होने के कारण लिपिकीय त्रुटि हो गयी है, जिसे संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिनॉक 16.03.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया जाता है, कि ग्राम राजेपुर उपरहार, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद की खतौनी सन् 1416 से 1421 फसली के खाता संख्या 403 पर दर्ज गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.241 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित रकबा 0.2415 हेक्टेयर भूमि अकृषिक दर्ज किया जाय। संशोधित आदेश की प्रति तहसीलदार सदर/उपनिबन्धक सदर को अनुपालनार्थ भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः 11.07.2013

मिलान किया द्वारा इलेक्ट्रोस्टेट
मुकाबला किया 14-11-13
शब्द लगभग 300

सत्य प्रतिलिपि

14-11-13

11.07.13

(राम सहाय यादव)
उपजिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद